न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 30/2024
तखतसिंह पुत्र पन्नेसिंह व अन्य
बनाम
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला (जोधपुर)

दिनांक 06.12.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा प्रकरण संख्या ...../2018 में पारित आदेश दिनांक 20.6.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में तहसील बालेसर के ग्राम भालू रतनगढ स्थित अपीलांट्स के ख0नं0 271, 266 व 241 की खातेदारी भूमि में से क्रमशः 2.30 बीघा, 0.18 बीघा व 0.15 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया है। जिसके लिए उसे नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में बहुत जल्दबाजी करते हुए एकतरफा रिपोर्ट पर ही आदेश पारित कर दिया गया, प्रकरण में विधिवत जांच नही की गई है। राज0 काश्तकारी अधिनियम में रास्ता खुलवाने एवं नया रास्ता उपलब्ध करवाने के विशेष प्रावधान उपलब्ध है। इन प्रावधानों के विपरित परिपत्रों की आड़ में खातेदारी अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के तीनों खसरान के बीच में से रास्ता निकालने से उक्त खसरे दो भागों में विभक्त हो गये है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का आग्रह किया गया। अन्यथा प्रस्तावित नजरी नक्शें में अन्य खसरान में रास्तों की भांति अपीलांट्स के खसरान में से कणे–कणें रास्ता स्वीकृत कराने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जबाव में रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त आदेश न्याय आपके द्वार अभियान–2018 केम्प कोर्ट बालेसर सत्ता में तहसीलदार बालेसर द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.16 की पालना में अंतर्गत धारा 131, 132, 136 आरएलआर एक्ट सपठित धारा 58, 59, 60, 66, 86 राज0 भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें फसल खरीफ संवत् 2073 में गश्त गिरदावरी के दौरान ग्राम भालू रतनगढ में सार्वजनिक प्रवृति के चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते, जो मौके पर चालू है, परंतु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी व नक्शें में अंकन नही है, उनका प्रस्ताव तैयार कर राज्य

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

सरकार के परिपत्र अनुसार तैयार कर तहसीलदार बालेसर की अनुशंषा से प्रेषित किया गया। मौका फर्द दिनांक 13.6.18 के अनुसार मौके पर 4 गट्ठे रास्ता मौजूद है व प्रभावित काश्तकारों एवं सरपंच के हस्ताक्षर है। ग्रा0पं0 द्वारा प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शा अनुसार उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में सरदह मौजा भालू कूम्बाणियां, तेजसिंह, पूनावतनगर, श्रीकरणसिंह नगर, रणजीतसिंह नगर से भालू राजवा व चावा सड़क तक स्वीकृत किया गया है जिसमें भालू अनोपगढ के कुल 35 प्रभावित खसरे शामिल है। अतः उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में होने से अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बालेसर के प्रस्ताव पर पारित किया गया है। उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में तहसील बालेसर के ग्राम भालू रतनगढ के कुल 35 खसरों में से निकाला गया है। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के तीनों खसरान के बीच में से रास्ता निकालने से उसके खसरान दो भागों में विभक्त हो गये है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नजरी नक्शे में स्पष्टत साबित है। अतः ग्रा0पं0 द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शें में दर्शाये गये कुछ अन्य खसरान की भांति वादग्रस्त ख0नं0 271, 266 व 241 के कणे–कणें रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 अपीलांट्स के खसरान की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 06 .12.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

06.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर